पंजीकृत

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
फैकल्टी ऑफ नर्सिंग मदरहुड विश्वविद्यालय,
ग्राम करौंदी भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार

पत्रांक : न0कौं0 / मदरहुड / निरीक्षण / सम्बद्धता / 02 / 2022 / 881 दिनांक 30 मार्च, 2022

विषय : **फैकल्टी ऑफ नर्सिंग मदरहुड विश्वविद्यालय, ग्राम करौंदी भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार के नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 को उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल से अनुमति / सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

आपके प्रशिक्षण संस्थान के अर्न्तगत संचालित निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल से वर्ष 2021–22 सत्र हेतु अनुमति / सम्बद्धता निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है।

क0 सं0	पाठयक्रम का नाम	निर्धारित सीट संख्या
1	जी0एन0एम0	20 (Twenty)
2	बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग	20 (Twenty)

1. संस्थान को उपरोक्तानुसार निर्धारित सीटो पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
2. संस्थान को उक्त निर्धारित सीटो में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा।
3. भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के निरीक्षण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय उपचर्या परिषद से सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति / सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. संस्थान को पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त की जानी होगी।
6. संस्थान का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती है, तो अनुमति / सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रशिक्षण संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा जो भी दिशा–निर्देश / आदेश प्राप्त होंगे वे स्वतः ही आपके संस्थान पर लागू होंगे एवं मान्य होंगे।
8. उक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सिलेबस्, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं अनिवार्य होगी।
9. प्रशिक्षण पाठयक्रम में प्रवेश लिये जाने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक योग्यता की उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
10. भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के मानकानुसार टीचिंग फैकल्टी 1:10 के अनुपात में तथा उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाईव्ज कौंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
11. संस्थान को सामु0स्वा0केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मानसिक चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी एवं दो माह के अन्तर्गत उक्त सूचना कौंसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।
12. संस्थान के भवन का नक्शा सम्बन्धित जनपद के जिला विकास प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। उक्त कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

13. संस्थान को लैबस को पूर्ण सुसज्जित किया जाना एवं लैब में आवश्यक उपकरण सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दो माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. संस्थान को नये पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकें क्रय किया जाना होगा। उक्त कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
15. संस्थान में स्किल एडवान्स लैबस् स्थापित किया जाना होगा।
16. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मानकानुसार चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
17. सम्बद्ध / पेरेन्ट चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
18. संस्थान में कार्यरत जिन टीचिंग फैकल्टी का उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में पंजीकरण नही है, उन्हें एक माह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
19. उत्तराखण्ड शासन के अनापत्ति पत्र संख्या–891/XXVIII(2)2016-23(नर्सिंग)/2016 दिनांक 29 नवम्बर,2016 एवं शासन के पत्र संख्या–142/XXVIII(6)2022-41(नर्सिंग)/2015 दिनांक 31 मार्च, 2022 में वर्णित समस्त शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
20. प्रत्येक वर्ष मान्यता / अनुमति / संबद्धता विस्तरण हेतु निर्धारित शुल्क उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाईव्ज कौंसिल, देहरादून कार्यालय में वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल / मई में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
21. उक्त शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनुपालन न होने की दशा में संस्थान को निर्गत अनुमति / सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

संस्थान को उक्त निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तो का पालन किये जाने पर ही वर्ष 2021–22 हेतु शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अनुमति होगी।

भवदीय

(रामकुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार

पत्रांक : न0कौं0 / मदरहुड / निरीक्षण / सम्बद्धता / 02 / 2022 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–

1–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
3–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली – 110020 ।

(रामकुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार